भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2034

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा

2034. श्री सनातन पांडेय:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी से गोरखपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-29 के चार लेन चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को पूरा भुगतान कर दिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वाराणसी, गोरखपुर या गाजीपुर जिलों में किसानों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ कोई मामला चल रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन किसानों को कब तक पूरा मुआवजा भुगतान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वाराणसी से गोरखपुर एनएच 29 तक चार लेन चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु भुगतान की गई मुआवजा का विवरण नीचे दिए अनुसार है:-

क्र.सं.	**जिला**	**सीएएलए खाता में जमा की गई कुल मुआवजा राशि (राशि करोड़ रु. में)**	**कुल संवितरण (राशि करोड़ रु. में)**	**संवितरण हेतु लंबित (राशि करोड़ रु. में)**	**टिप्पणी**
1.	गोरखपुर	1632	1558	74	वाराणसी न्यायालय में 74 करोड़ रु. का मालिकाना / हिस्सेदारी संबंधी मामला लंबित है।
2.	मऊ	2102.89	2039.54	63.35	विभिन्न न्यायालयों में 24.97 करोड़ रु. का मालिकाना/हिस्सेदारी /सर्कल दर संबंधी मामला लंबित है। शेष 38.38 करोड़ रु. में संवितरण प्रगति पर है।
3.	गाजीपुर	2853.84	2820.62	33.22	विभिन्न न्यायालयों में

					मालिकाना/हिस्सेदारी /सर्कल दर संबंधी मामलों के रुप में 14.72 करोड़ रु. लंबित है, संवितरण की अप्रयोज्यता के कारण सीएलएलए पीडी खाता से 18.12 करोड़ रु. आहरित किया गया है और सीएएलए गाजीपुर द्वारा शेष 0.28 करोड़ रु. संवितरण किया जा रहा है।
4.	वाराणसी	558.6	544.385	13.8	विभिन्न न्यायालय में मालिकाना/ हिस्सेदारी से संबंधित विवादों क कारण 13.8 करोड़ रु. का संवितरण लंबित है।

(ख) जिलाधिकारियों के पास मामलों की जिलावार जानकारी इस प्रकार है:

1. गोरखपुर- मुआवजा राशि में वृद्धि के 121 मामले मध्यस्थ/जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, गोरखपुर में लंबित हैं।

2. गाजीपुर- मुआवजा राशि में वृद्धि के 44 मामले मध्यस्थ/जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, गाजीपुर में लंबित हैं।

3. वाराणसी- किसानों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित कोई भी मामला जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के पास लंबित होने की सूचना नहीं है।

(ग) उक्त मामलों के निपटारे के बाद संबंधित किसानों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) द्वारा मऊ और गाजीपुर जिलों में वर्तमान में 38.66 करोड़ रुपये का संवितरण प्रगति पर है।

*****